



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 पौष, 1944 (श०)

संख्या -3 राँची, सोमवार,

9 जनवरी, 2023 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)

अधिसूचना

15 दिसंबर, 2022

संख्या-09/बजट(SDRF)-12/2022आ.प्र.-1519--झारखण्ड सरकार[आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा-48 (1)(ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग)]भारत सरकार[नई दिल्ली के पत्रांक-33-02/2020-NDM-I दिनांक-14.01.2022 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुपालन हेतु राज्य आपदा शमन निधि (State Disaster Mitigation Fund) का गठन करती है ।

अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव ।

**Home, Prison and Disaster Management Department
(Disaster Management Division)**

NOTIFICATION

15th December, 2022

No.- 09/Budget(SDMF)-12/2022 Aa.Pra.-1519--In compliance of the Letter number-33-02/2020-NDM-I, Dated-14.01.2022 of Ministry of Home Affairs (Disaster Management Division), Government of India, New Delhi the State Government of Jharkhand hereby constitutes the State Disaster Mitigation Fund in exercise of power conferred by section-48 (1) (c) of the Disaster Management Act, 2005 (No.-53 of 2005).

Amitabh Kaushal,
Secretary to Government.
